

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण  
संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)



# क्या आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है? लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत शिकायत दर्ज करें।

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 - एक पहल

लिखित में शिकायत यहाँ भेजें:  
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए  
नई दिल्ली - 110023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें, केंद्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शासित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के विरुद्ध ही होनी चाहिए)

भारतीय पेटसन निगम लि

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की संस्था

# लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण शिकायतें: क्या हैं ? आप कब कर सकते हैं ?



1

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों को 'पीआईडीपीआई' शिकायतें कहा जाता है।

2

यदि कोई शिकायत 'पीआईडीपीआई' के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

3

शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

4

केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित प्रदेशों सहित) के विरुद्ध की गई शिकायतों ही पर संज्ञान लिया जाएगा।

5

अधिक जानकारी के लिए  
<http://www.cvc.gov.in> देखें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021

एक पहल